न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या– 467 / 2026
कुर्साकांटा थाना कांड संख्या– 83 / 2026

मो0 आबिद ..... आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

08-07-2026 अभिरक्षाधीन आवेदक / अभियुक्त मो0 आबिद, पिता–कलरू उर्फ रकीमुद्दीन की ओर से कुर्साकांटा थाना कांड संख्या– 83 / 2026, अंतर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 3(5) भा0न्या0सं0 एवं 36, 37 आधार कार्ड एक्ट 2016 के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक 21.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अमर कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक अभिषेक नारायण ज्योति, पु० अ० नि० सह अपर थानाध्य क्ष के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि दिनांक–20.05.26 को सूचना के सत्यापन में सशस्त्र बल के साथ थाना से प्रस्थान किया। समय करीब 15:55 बजे जैसे ही मो० आरिफ के घर पहुंचे तो उसके घर के आगे वाला कमरा में 02 व्यक्ति लैपटॉप, प्रिंटर, EYE स्कैनर के साथ लैपटॉप पर काम कर रहा था जैसे ही पुलिस बल को देखा तो दोनों व्यक्ति खिड़की से कूदकर भागने लगा जिसे साथ के ससस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाए हुए ने अपना अपना नाम मो० आरिफ व मो० आविद बताया। उनके द्वारा बताया गया की हमलोग डुप्लीकेट आधार कार्ड एवं अन्य कई जाली कागजात बहुत अधिक पैसा लेकर बनाते हैं, जो फर्जी काम करने के लिए उपयोग किया जाता है। दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष पकड़ाए व्यक्ति मो० आरिफ पे०–मो० अयूब के घर का तलाशी लिया तो देखा की घर में स्थित आगे वाला कमरा में एक डेल कंपनी का लैपटॉप जो चालु हालत में, CANON कंपनी का एक प्रिंटर EYE स्कैनर एवं 03 व्यक्ति का जाली आधार कार्ड बनाने का अपडेट किया हुआ ACKNOWLEDGMENT SLIP जिसका ENROLMENT No- 0707/20804/00049, 0707/20804/00048, 0707/20804/00052 बरामद किया गया, जिसे विधिवत जप्ती सूची बनाकर जब्त किया गया एवं पकड़ाये व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 21.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के पास से कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद नहीं हुआ है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 338, 336(3), 3(5) भा0न्या0सं0 एवं 36, 37 आधार कार्ड एक्ट 2016 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के पारा 03 में जप्ती सूची का उल्लेख किया गया है, जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक काराधीन अभियुक्त के पास से कौन–सा आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया था, इसे कांड दैनिकी में स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही जप्ती सूची पर इनका कोई नाम व हस्ताक्षर ही अंकित किया गया है। कांड दैनिकी के पारा 30 में आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुआ है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा जप्त जाली आधार कार्ड ACKNOWLEDGMENT SLIP जिसका ENROLMENT No- 0707/20804/00049, 0707/20804/00048, 0707/20804/00052 बरामद किया गया है, लेकिन इसके संबंध में कोई जांच व सत्यापन प्रतिवेदन अभिलेख व वाद दैनिकी के साथ संलग्न नहीं है। आवेदक दिनांक 21.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों व न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए काराधीन आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप आवेदक द्वारा मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(शशि भूषण कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।